

कार्यालय जिला पंचायत, वाराणसी।

ई-निविदा-सूचना

समस्त पंजीकृत पशु शवदाह गृह का निर्माण करने वाली दश कम्पनियों को सूचित किया जाता है की पंचम राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत, निम्नलिखित कार्य की ई-निविदायें जिला पंचायत वाराणसी द्वारा दिनांक-08.06.2021 को अपराह्न 01 बजे तक प्रतिशत दर के आधार पर आमंत्रित की जाती है। है। ई-निविदा आनलाइन दिनांक-08.06.2021 के अपराह्न 01 बजे से दिनांक-08.06.2021 को अपराह्न 01 बजे तक ई-टेंडरिंग पोर्टल www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगी, निविदा प्रपत्र का मूल्य आनलाइन जिला पंचायत वाराणसी यूनिशन ऑफ आर्क इण्डिया शाखा विकास भवन-वाराणसी में संचालित बचत खाता संख्या-585102010005446 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0558516 में जमा करते हुए आनलाइन www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/सबमिट किया जा सकेगा। आमंत्रित ई-निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक-08.06.2021 को अपराह्न 03.00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। वित्तीय बिड की सूचना पृथक से आनलाइन सूचित की जायेगी। निविदा कार्यों की सूची www.etender.up.nic.in एवं varanasi.nic.in पर अपलोड है, जिसे निविदा डालने हेतु प्राप्त किया जा सकता है। निविदा से सम्बन्धित कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत वाराणसी में प्राप्त की जा सकती है। कार्यों का विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	वि० खण्ड	कार्य का नाम	लागत जी०एस०टी० रहित(लाख रुपये में)	धरोहर/अर्नेस्टमनी 02 प्रतिशत (लाख रुपये में)	टेंडर फार्म मूल्य+18 प्रतिशत जी०एस०टी०	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	चिरईगाँव	जाल्हुपुर काशीपुर मेन रोड से विजय लक्ष्मी डिग्री कालेज से से गाटा संख्या 1432 तक लेपन कार्य तथा विद्युत पशु शवदाह गृह कार्य	192.86	3.857	2360	03माह

- शा०सं० 522/23-12-2012-2 आडिट/08 टी०सी०-2 दिनांक- 08.06.2012 के अनुसार BOQ से Below दर देने पर फर्म द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
अ-10% Below तक दर पर 0.50% प्रति 1.00% कम दर से लिए।
ब-10% से अधिक Below तक दर पर 1.00% प्रति कम दर से लिए।
- कार्य की अनुमानित दरों में जी०एस०टी० सम्मिलित नहीं है। उक्त कर ठेकेदार/फर्म को अलग से नियमानुसार देय होंगे व भुगतान इत्यादि की कार्यवाही में नियमानुसार शासन द्वारा प्रस्तावित करों की कटौती की जायेगी।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति तक प्रत्येक चरण का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। इसका अनुपालन ना सुनिश्चित करने पर फर्म का भुगतान रोक दिया जायेगा।
- कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से लिखित में कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी को अवगत कराना होगा।
- निर्माण निविदाओं की BOQ में अंकित कार्य की मात्रा में आवश्यकता व निमानुसार परिवर्तन हो सकता है। जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई आपत्ति मान्य नहीं होगा। किसी भी विवाद के सम्बन्ध में /सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व बन्धनकारी होगा।
- लेपन कार्य में बिटुमिन आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं फर्म द्वारा रिफाईनरी से की जायेगी और उसका बिल प्रपत्र (सी०आर०सी०) कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी फर्म को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित फर्म उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह या सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदा की वैधता प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के लिए होगी।
- निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट Varanasi.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है और निविदा प्रपत्र लागत का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत वाराणसी के पक्ष में देय होगा। आवश्यक रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी।
- निविदा के साथ 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि पृथक-पृथक राष्ट्रीय कृत बैंको की एफ०डी०आर०/डाकघर की एन०एस०सी० जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत वाराणसी के पदनाम से बन्धक होगा, जिसकी स्कैन प्रतियाँ निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात् निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी, तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जायेगी।

12. ₹0-100.00 स्टैम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र आनलाईन स्कैन करते हुए निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
13. बिना धरोहर धनराशि व निविदा मूल्य तथा अद्यतन चरित्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
14. पशु शवदाह गृह का निर्माण करने वाली दक्ष कम्पनी को न्यूनतम दर प्राप्त होने पर जिला पंचायत वाराणसी में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
15. पशु शवदाह गृह में स्थापित संयंत्र की क्षमता 400 किग्रा/घंटा से कम नहीं होनी चाहिए।
16. निविदा से सम्बन्धित विवरण निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राइंग, विशिष्टियों मात्राओं का विवरण एवं ठेके का अन्य शर्तें जिनका पालन ठेकेदार को किया जाना है के संबंध में जानकारी किसी भी कार्य दिवस में तक की जा सकती है।
17. एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी जिला पंचायत वाराणसी में निहित होगा।
18. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य स्थल एवं कार्य पर लगने वाले श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग से कराकर पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित किया जायेगा।
19. निविदा स्वीकृत होने की दशा में कुल 10 प्रतिशत धनराशि (धरोहर धनराशि मिलाकर) जमानत धनराशि जमा करने पर ही अनुबंध किया जायेगा। निविदा स्वीकृत के एक सप्ताह के अन्दर अनुबंध न कराने की स्थिति में निविदायें स्वतः ही निरस्त मान ली जायेगी।

अभियंता
जिला पंचायत, वाराणसी

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी

जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासक,
जिला पंचायत, वाराणसी

पत्रांक- 76 / जि0पं0वा0 / 2020-21

दिनांक- 18 मई, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2. मा0 जिला जज जनपद वाराणसी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. श्रीमान जिलाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. मुख्य, विकास अधिकारी, वाराणसी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. उपजिलाधिकारी सदर/पिण्डरा/राजातालाब, वाराणसी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को एन0आई0सी0 के बेबसाइट Varanasi.nic.in पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
7. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, समस्त खण्ड, उप निदेशक, मण्डी परिषद, अधि0अभियंता ग्रामिण अभियंत्रण विभाग, वाराणसी को सूचनार्थ।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद वाराणसी को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत, वाराणसी।
10. लेखाकार जिला पंचायत, वाराणसी।
11. ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वाराणसी को जनपद की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. जिला पंचायत, वाराणसी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, वाराणसी